20.1.23

प्रथम पक्ष - वकालतन हाजरी है।
अं० अ० से प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन अप्राप्त।
थाना प्रभारी के जांच प्रतिवेदन में
विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था
भंग होने की संभावना उल्लेखित
नहीं एवं एवं धारा-144 लागू
करने की अनुशंसा नहीं किया
गया है।

अतः स्थल में धारा-144 लागू
नहीं किया जा सकता है। वाद
की कार्रवाई को समाप्त कर
अभिलेख को बन्द किया जाता
है।

20/1/23

Digitally signed by Vishal Deep Khalkho
Date: 2023.03.16 15:59:35 +05:30
Location: 192.168.29.151